



उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

सोमवार, 20 माघ, शक संवत् 1947
(09 फरवरी, 2026)

समय : 12:30 बजे अपराह्न

1-वन्दे मातरम् (देखिये नत्थी 'क')।

2-श्री सभापति, विधान परिषद्, सदन के दिनांक 09 फरवरी, 2026 से दिनांक 20 फरवरी, 2026 तक के तिथिवार कार्यक्रम के सम्बन्ध में कार्य-परामर्शदात्री समिति की संस्तुति सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे।

(संस्तुति की सूचना के लिए देखिये नत्थी 'ख')

3-श्री राज्यपाल के अभिभाषण को प्रतिवेदित किया जाना।

4-प्रमुख सचिव, विधान परिषद् घोषणा करेंगे कि-

(1) उत्तर प्रदेश विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का पहला अधिनियम बना।

(2) किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का दूसरा अधिनियम बना।

(3) उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का तीसरा अधिनियम बना।

(4) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का चौथा अधिनियम बना।

(5) उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का पांचवां अधिनियम बना।

(6) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का छठवां अधिनियम बना।

(7) उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का सातवां अधिनियम बना।

(8) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का आठवां अधिनियम बना।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का नवां अधिनियम बना।

(10) उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का दसवां अधिनियम बना।

(11) उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 02 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का ग्यारहवां अधिनियम बना।

(12) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 01 जनवरी, 2026 को प्राप्त हो गई है और वह उत्तर प्रदेश का सन् 2026 ई0 का बारहवां अधिनियम बना।

5-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-03 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

6-नगर विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-04 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

7-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

8-उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2026) को सदन की मेज पर रखेंगे।

लखनऊ :

सोमवार, 20 माघ, शक संवत् 1947
(09 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,

डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।



नत्थी 'क'

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥

शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामिनीम्

फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ॥



नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-परामर्शदात्री समिति ने अपनी दिनांक 08 फरवरी, 2026 की बैठक में सदन के दिनांक 09 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की संस्तुति की है :-

फरवरी, 2026

09 सोमवार

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल का अभिभाषण।

2-12:30 बजे अपराह्न

(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़ कर सुनाया जाना।

(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन की मेज पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।

10 मंगलवार

श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

11 बुधवार

1-11:00 बजे पूर्वाह्न

वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।

2-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

12 गुरुवार

1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

13 शुक्रवार

श्री राज्यपाल के अभिभाषण (धन्यवाद प्रस्ताव) पर चर्चा एवं पारण।

14 शनिवार

15 रविवार

}

बैठक नहीं होगी।

फरवरी, 2026

- 16 सोमवार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
- 17 मंगलवार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
- 18 बुधवार वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
- 19 गुरुवार 1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
- 20 शुक्रवार 1-वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

2-04:00 बजे अपराह्न

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2026, जैसा विधान सभा द्वारा पारित होगा, पर विचार एवं उसका पारण।
